[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना सं.62/2018- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.... (अ) आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात्त इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है), के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर अधिसूचना सं.34/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 10 अगस्त ,2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त ,2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, प्रथम पैरा में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएँगे , अर्थात्:-

" परंतु यह और कि, सितम्बर और अक्तूबर, 2018 मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारबार का मूल स्थान आंध्र-प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिले में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 30 नवम्बर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह भी कि, अक्तूबर, 2018 मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में काडलूर, थिरुवारूर, पुद्दुकोट्टई, डिंडीगुल,नागापटिनम, थेनी, थंजावुर,सिवगंगई, तिरुचिरापल्ली, करूर और रामनाथपुरम में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 दिसम्बर , 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी । "।

[फा.सं. 20/06/17/2018 -जीएसटी (भाग-I)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं.34/2018, भारत के राजपत्र, में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ),तारीख 10 अगस्त ,2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं.55/2018 तारीख 21 अक्तूबर ,2018,जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 1050 (अ), तारीख 22 अक्तूबर ,2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम रूप से संशोधन किया गया।